प्रेस विज्ञप्ति
25/06/2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर मृत विकास दुबे ,उसकी पत्नी ऋचा दुबे और उसके गिरोह के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ धन-शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत दिनांक22 .03. 2024को माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए , लखनऊ के समक्ष अभियोजन शिकायत) पीसी (दायर की है। माननीय न्यायालय ने29 .05. 2024को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने हत्या ,जालसाजी ,धोखाधड़ी ,धन के गबन ,जबरन वसूली आदि के कई मामलों के संबंध में भारतीय दंड संहिता ,1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उ.प्र .पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि विकास दुबे अपने सहयोगियों के साथ संगठित अपराध ,भू-माफिया ,भ्रष्टाचार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित धन का गबन ,जबरन वसूली ,हत्या , धोखाधड़ी आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल था।

जांच के दौरान विकास दुबे ,जयकांत बाजपेयी ,उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर10 . 12करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां खरीदी गईं। ये संपत्तियां विकास दुबे और उसके सहयोगियों की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अपराध आय) पीओसी (से प्राप्त हुई थीं।

ईडी ने मृत विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों और उसके सहयोगियों द्वारा खरीदी गई 10. 12करोड़ रुपये की इन संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था जिसकी पुष्टि विद्वान न्याय-निर्णयन प्राधिकारी) पीएमएलए ,नई दिल्ली (द्वारा की गई थी।